



## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैंक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आर.टी.ई / 2012 / 1890  
प्रति

भोपाल, दिनांक 23.2.12

1. समस्त कलेक्टर  
मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
मध्यप्रदेश
3. समस्त सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक  
जिला शिक्षा केन्द्र  
मध्यप्रदेश।

विषय:—शिक्षा का अधिकार अधिनियम—माध्यमिक शालाओं की संरचना।

संदर्भ:—मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 27-3/2012/  
20-2 भोपाल, दिनांक 16.01.2012

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रकाश में प्रदेश में शासकीय माध्यमिक शालाओं की संरचना से संबंधित आदेश जारी किया गया है।

आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(शोभित जैन)  
अपर मिशन संचालक  
राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 16-1-2012

कमांक / एफ 27-3/2012/20-2 राज्य शासन एतद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने वाले स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना का प्रावधान है। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए शासकीय माध्यमिक शालाओं की संरचना से संबंधित पूर्ण में जारी आदेशों को आदिग्रहित करते हुए, शिक्षकों की पदस्थापना की संरचना निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

(क) शिक्षकों की संख्या :- माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुपात के अनुसार होगी अर्थात्

(i) न्यूनतम तीन शिक्षक (प्रत्येक कक्षा के लिए एक)

(ii) 35 बच्चों पर न्यूनतम एक शिक्षक

(ख) विषयवार संख्या :- छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की विषयवार संख्या निम्नानुसार होगी।

(i) प्रथम तीन शिक्षक

(1) विज्ञान एवं गणित (गणित विषय सहित विज्ञान)

(2) भाषा (अंग्रेजी)

(3) सामाजिक विज्ञान

(ii) छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर

(4) भाषा (संस्कृत)

(5) विज्ञान (जीव विज्ञान)

(6) सामाजिक विज्ञान

(iii) यदि छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक है तो शिक्षक पद की पूर्ति के लिए उपरोक्त क्रम की पुनरावृत्ति होगी।

निस्तर...

(ग) माध्यमिक शाला में शिक्षक की पदस्थापना से तात्पर्य संबंधित विषय/विषय समूह में स्नातक से होगा। उक्त संरचना का अर्थ कदाचित्त पद निर्मित होना नहीं है। पद निर्माण का आदेश पृथक से जारी किया जायेगा, जिसके उपरान्त ही स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर पद पूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



( बाबूलाल जैसवार )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पू० क्रमांक एफ 27- 3/2012/20-2  
दिनांक

भोपाल, दिनांक 16-1-2012

1. निज सचिव, मा० मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म०प्र०भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला प्रशासनात्मक सचिव, मध्यप्रदेश।
12. गार्ड फाइल संधारण हेतु।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग